न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 171/2016–17 अन्तर्गत धारा–331 जं0वि0अधि0

1– हुकुम सिंह, 2. नरसिंह, 3. करण पाल, 4. मनीष, 5. ऋषि पाल पुत्रगण किशन समस्त निवासीगण–मौहम्मदपुर, 6. ताहर सिंह, 7. करनौल सिंह पुत्रगण, जीत सिंह 8. सतपाल, 9. जसवन्त, 10. जरनैल, 11.हरजन पुत्रगण दलीप सिंह, निवासीगण– सहीपुर, 12. सेवाराम पुत्र केवल, 13. आशु पुत्र भोपाल, 14. श्रीमती सोम्मी पत्नी भोपाल, 15. राजेन्द्र पुत्र करता निवासीगण–मौहम्मद्पुर, 16. जगीर पुत्र निरंजन, 17. शीषा सिंह पुत्र सज्जन सिंह, 18. तेल्लू, 19. ओमा पुत्रगण बीजा निवासीगण–सहीपुर, 20. राजपाल पुत्र बिशम्बर, 21. नरेन्द्र, 22. रविन्द्र पुत्रगण सुक्कड़, 23. अमित नाबालिग पुत्र सुक्कड़ संरक्षिका सगी माता श्रीमती पाल्ली विधवा सुक्कड, 24. श्रीमती पाल्ली पत्नी सुक्कड़, 25. बिजेन्द्र पुत्र चण्डी प्रसाद, 26. जूगरा पुत्र कन्टू, 27. मु0 कान्ति विधवा बारू, 28. सतीश, 29. चूहड़ा, 30. मुन्दर, 31. सुरेन्द्र पुत्रगण बलजीत, 31. श्रीमती रामकली विधवा बलजीत, 33. सूरजमल पुत्र नन्हा, 34. परवश पुत्र कबूल, 35. नरेश पुत्र राम शाह, 36. रामपाल पुत्र बलवन्त समस्त निवासीगण–मथाना, परगना गोरधनपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

बनाम

1– राजकुमार पुत्र हुकुम सिंह, 2. चेतन सिंह पुत्र ललित सिंह, 3. चन्दन सिंह पुत्र ललित सिंह, 4. श्रीमती सरोज विधवा ललित सिंह, 5.श्रीमती शिक्षावती विधवा रकम सिंह, 6. श्रीमती सपना पुत्री रकम सिंह, 7. जसवीर सिंह पुत्र नरेन्द्रपाल सिंह, 8. सतेन्द्र कुमार, 9. कुलदीप सिंह, 10. संजीव कुमार पुत्रगण नरेन्द्र सिंह, 11. यशपाल सिंह पुत्र कवर पाल सिंह, समस्त निवासीगण–सिसौना, तहसील व जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश हाल निवासी अब्दुल रहीमपुर, परगना गोरधनपुर, तहसील लक्सर, जिला हरिद्वार।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।
अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : श्री बाबूराम।

आदेश

यह निगरानी मात्र इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि धारा–198 (4) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत कार्यवाही ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार मात्र कलेक्टर को है न कि अपर कलेक्टर को एवं अपर कलेक्टर, हरिद्वार ने इस सम्बन्ध में निगरानीकर्तागण द्वारा वाद संख्या–3/2015–16 रामकुमार बनाम भूमि प्रबन्धक समिति आदि मौजा झीवरहेड़ी प्रस्तुत की गई आपत्ति दिनांक 17–11–2016 का अविधिक व अनियमित निस्तारण अपने आक्षेपित आदेश दिनांक 16–03–2017 से किया गया है जबकि इस सम्बन्ध में उनके समक्ष प्रस्तुत एवं उल्लिखित न्यायिक व्यवस्थाओं में विधिक स्थिति अति स्पष्ट है।

मैंने निगरानी की ग्राह्यता के सम्बन्ध में निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को सुना एवं उनके द्वारा प्रस्तुत की गई न्यायिक व्यवस्थाओं का सम्यक अवलोकन किया। चूंकि प्रकरण मात्र क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित है एवं इस हेतु विधिक स्थिति व व्यवस्थाएं

स्पष्ट है। अतः प्रस्तुत निगरानी का निस्तारण ग्रहण किये जाने के स्तर पर ही बिना उत्तरदातागण को नोटिस प्रेषित किये एवं बिना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अभियाचित किये किया जाना न्यायसंगत है।

धारा–198 (4) के अन्तर्गत कलेक्टर को उचित प्रकरण में कार्यवाही करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इस सम्बन्ध में संगत विधिक प्राविधान अतिस्पष्ट है जिसके अनुसार कार्यवाही कर क्षेत्राधिकार कलेक्टर को प्राप्त है। चूंकि अपर कलेक्टर को कलेक्टर की शक्तियां प्राप्त होती है अतः अन्तरित प्रकरणों में वे धारा–198 (4) जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कर सकते है परन्तु ऐसी कार्यवाही को ग्रहण करने का क्षेत्राधिकार अपर कलेक्टर में नही है। इस सम्बन्ध में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ की, बारूराम आदि बनाम राज्य सरकार, 2006 (100) आर0डी0 21 (एच0), में प्रतिपादित निम्न न्यायिक सिद्धान्त अतिस्पष्ट है जिसमें कोई दुविधा की स्थिति नही है:–

"अपर कलेक्टर–का सामर्थ्य, अधिनियम की धारा–198 (4)के अन्तर्गत प्रदेशन और पट्टे को निरस्त करने का–कलेक्टर द्वारा निर्देशित होने पर अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर की शक्तियों का उपयोग कर सकता है–भू–राजस्व अधिनियम, 1901 –धारा–14–क(3)–उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000–धारा–871

उत्तरांचल में प्रभावी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–198 (4) के अनुसार कलेक्टर को किसी प्रदेशन की जांच और प्रदेशन के अनियमित पाये जाने पर उक्त प्रदेशन और पट्टे को निरस्त करने का अधिकार प्राप्त है। अधिनियम की धारा–3 (4) के अनुसार कलेक्टर का तात्पर्य भू–राजस्व अधिनियम, 1901 के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर के रूप में नियुक्त अधिकारी के रूप से है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा–14–क(3) के अनुसार एक अतिरिक्त कलेक्टर ऐसे मामलों के वर्ग में कलेक्टर की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वाह करेगा जैसा कि सम्बन्धित कलेक्टर निर्देशित करे। स्पष्ट है कि जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–198 (4) के अधीन अतिरिक्त कलेक्टर भी कलेक्टर की शक्तियों को उपयोग कर सकता है परन्तु उक्त शक्तियों के उपयोग हेतु उसे कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया जाना आवश्यक होगा। किसी प्रदेशन और पट्टे के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किये जाने पर ही अतिरिक्त कलेक्टर उक्त प्रदेशन और पट्टे के निरस्तीकरण हेतु सक्षम होगा अन्यथा नही।

मूल वाद संख्या–5/2000–01 अन्तर्गत धारा–198 (4)जं0वि0अधिनियम, सरकार बनाम ननक चन्द आदि ग्राम अजबपुर कलां/केन्द्रीयदून में न्यायालय अपर कलेक्टर, देहरादून को वाद की सुनवाई एवं निर्णयन का क्षेत्राधिकार प्राप्त है किन्तु इसके लिए कलेक्टर का निर्देशन होना आवश्यक है।"

विद्वान अपर कलेक्टर, हरिद्वार ने उक्त विधिक व्यवस्था की उपेक्षा की है जो कि निन्दनीय है क्योंकि उनका कृत्य राजस्व परिषद, जो कि राजस्व न्यायिक व्यवस्था का शीर्ष स्तर है के निर्देशों की अनदेखी करने के तुल्य है।

विद्वान अपर कलेक्टर, हरिद्वार ने उनके समक्ष प्रस्तुत आपत्ति के प्रत्येक विधिक बिन्दुओं/अभिवाक का तात्विक व विधिक विनिश्चयन किये बिना उसे मात्र इस आधार पर अस्वीकृत किया है कि वर्णित आपत्ति 27 वर्ष पश्चात की गई है एवं निगरानीकर्तागण द्वारा उसे अपने प्रत्युत्तर/जवाबदावे में भी नही उठाया। इस सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय की, कंवर सिंह सैनी बनाम हाईकोर्ट ऑफ देहली में धारित न्यायिक व्यवस्था 2012 (115) आर0डी0 291 कि " क्षेत्राधिकार–न्यायालय का अधिरोपण–एक विधायी कृत्य–न तो पक्षकारों की सहमति से अधिरोपित किया जा सकता है और न ही उच्चतर न्यायालय के द्वारा–मामले पर क्षेत्राधिकार नही रखते हुए किसी न्यायालय के द्वारा पारित आज्ञप्ति एवं शून्यता है–ऐसा प्रश्न अत्यधिक विलम्बित स्तर पर भी उठाया जा सकता है," अत्यधिक स्पष्ट है। विधिक प्रश्न किसी भी स्तर पर कभी भी उठाया जा सकता है यंहा तक कि यदि उसका समावेश अभिवचनों में भी न हुआ हो तो भी उन्हें उठाया जा सकता है अथवा उनका न्यायालय द्वारा स्वतः संज्ञान लिया जा सकता है। तद्नुसार विद्वान अपर कलेक्टर का आक्षेपित आदेश विधिक एवं तात्विक अनियमितता से भी ग्रसित है।

निगरानी ग्रहण कर स्वीकार की जाती है तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 16–03–2017 अपास्त किया जाता है। धारा–198 (4)जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत प्रस्तुत आलोच्य प्रकरण कलेक्टर, हरिद्वार के समक्ष प्रस्तुत हो जो या तो स्वयं आलोच्य कार्यवाही सम्पन्न करेंगे अथवा उसे विधिवत किसी अपर कलेक्टर को अन्तरित कर सकेगें। निगरानीकर्तागण कलेक्टर, हरिद्वार के न्यायालय में दिनांक 14–06–2017 को उपस्थित हों।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक **16–05–2017** को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)